



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 51-2025]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2025
(2 पौष, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 17/संवि०/अनु० 309/2025, दिनांक 23.12.2025— हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा निदेशालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 2025।	3143—3158
	2. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 18/संवि०/अनु० 309/2025, दिनांक 23.12.2025— हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2025।	3159—3178
	3. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 19/संवि०/अनु० 309/2025, दिनांक 23.12.2025— हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2025।	3179—3206
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार****वित्त विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 23 दिसम्बर, 2025

संख्या सांका०नि० 17/संवि०/अनु० 309/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा निदेशालय (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग I सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा निदेशालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 2025, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
(क) “प्रशासकीय सचिव” से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, जैसी भी स्थिति हो;
(ख) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
(ग) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
(ङ) “संस्था” से अभिप्राय है,—
(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
(च) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
(क) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
(ख) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा
(छ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा निदेशालय (ग्रुप क) सेवा।

भाग II सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।
4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो:— सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।
(क) भारत का नागरिक; या
(ख) नेपाल की प्रजा; या
(ग) भूटान की प्रजा:
परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।
(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा की नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रवर्ग से संबंधित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, तो पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:—

(क) महानिदेशक की दशा में,—

(i) प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) अतिरिक्त निदेशक की दशा में,—

(i) प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) संयुक्त निदेशक की दशा में,—

(i) उप-निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो वह एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की ओर अनुज्ञात होगी; और

- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो,—
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
- (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, सन्तोषजनक न रहा हो तो,—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है तथा अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या
- (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार ज्येष्ठता। निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार ही निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपने पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता है:

परन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी परीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप-नियम (2) या (3) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में अधिकथित शर्तों के अधीन तथा किन्हीं निर्बन्धनों, जो सक्षम प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना उचित समझे, के अधीन स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 1.— किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक आदाता नियोक्ता उसे ऐसे विशेष सुविधाओं से कम प्रदान नहीं करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता।

टिप्पण 2.— सरकारी कर्मचारी का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं होने पर होता।

टिप्पण 3.— चण्डीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान को छोड़कर अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए आदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा।

वेतन, छुट्टी,
पेंशन तथा अन्य
मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा तत्समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके द्वारा अपनाए या बनाए जाएं।

अनुशासन,
शास्तियां तथा
अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की
शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा-स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की
शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह पदोन्नति/नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	महानिदेशक	01	वरिष्ठ वेतनमान में भारतीय प्रशासकीय सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	अतिरिक्त निदेशक	01	हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	संयुक्त निदेशक	02	एफ.पी.एल.-12, सेल-1 = 78800 /—रुपए

परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)			
क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	महानिदेशक	..	प्रतिनियुक्ति द्वारा— वरिष्ठ वेतनमान में भारतीय प्रशासकीय सेवा से;
2.	अतिरिक्त निदेशक	..	प्रतिनियुक्ति द्वारा— हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से;
3.	संयुक्त निदेशक	..	पदोन्नति द्वारा— नियमित पद पर नियुक्ति के बाद उपनिदेशक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) संयुक्त निदेशक के रूप में या उसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; (ii) हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।

परिशिष्ट ग
[देखिए नियम 13 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	महानिदेशक	सरकार	—	मूल विभाग के सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार	मूल विभाग के सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार
2.	अतिरिक्त निदेशक	सरकार	—	मूल विभाग के सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार	मूल विभाग के सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार
3.	संयुक्त निदेशक	सरकार	(i) छोटी शास्तियां :— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित; (ii) बड़ी शास्तियां :— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	प्रशासकीय सचिव सरकार	सरकार —

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 13 (2)}

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	महानिदेशक	—	मूल विभाग के सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार
2.	अतिरिक्त निदेशक	—	मूल विभाग के सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार
3.	संयुक्त निदेशक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा की समाप्ति; (iii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु के होने से पूर्व लोक हित में सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति।	सरकार

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 23rd December, 2025

No. G.S.R. 17/Const./Art. 309/2025.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to Group A posts in the Directorate of State Audit Haryana, namely:-

PART-I General

1. (1) These rules may be called the Directorate of State Audit Haryana (Group A) Service Rules, 2025. Short title and commencement.
 (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In these rules unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Administrative Secretary” means the Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, as the case may be;
 - (b) “Commission” means the Haryana Public Service Commission;
 - (c) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an officer already in the Service of the Government of India or any State Government;
 - (d) “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
 - (e) “institution” means-
 - (i) any institution established by the law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
 - (f) “recognized university” means-
 - (a) any university established by law in India; or
 - (b) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
 - (g) “Service” means the Directorate of State Audit Haryana (Group A) Service.

PART II – RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules: Number and character of posts.
 Provided that nothing in these rules shall affect the rights of the Government to make additions to or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay.
4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is- Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:
 Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government; or
 (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting agency but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
 (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.	5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty -one years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting agency.
Appointing authority.	6. Appointment to a post in the Service shall be made by the Government.
Qualifications and experience.	7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in case of appointment other than by direct recruitment: Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped categories, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.
Disqualifications.	8. No person- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to a post in the Service: Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
Method of recruitment.	9. (1) Recruitment to the Service shall be made,- (a) In the case of Director General,- (i) by deputation; (b) In the case of Additional Director,- (i) by deputation; (c) In the case of Joint Director,- (i) by promotion from amongst the Deputy Directors; (ii) by transfer or deputation of an officer already in service in any State Government or the Government of India. (2) All promotions, unless otherwise provided shall be made on the basis of seniority-cum-merit and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
Probation.	10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise: Provided that- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall be counted towards the period of probation; (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy. (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment ,-

- (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may-
 - (a) If his work or conduct has, in its opinion been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment against the vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:
 Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, inter se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service: Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered to do so by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of the Service may, in public interest, be transferred by the appointing authority or Head of the Department, whichever is higher, to foreign service or on deputation to any organization/Department under the control of Haryana Government including Chandigarh Administration and Bhakra Beas Management Board:

Provided that no member of Service shall be transferred on deputation during the period of probation and one year before his retirement on superannuation.

(3) No member of the Service shall be transferred to foreign service or on deputation against his will in any organization/department under the control of Government of India or any other State Government or out of India.

(4) Transfer of a member of Service under sub-rule (2) or (3) above shall be sanctioned by the competent authority subject to the conditions laid down in the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and any restrictions which it may deem fit to impose by general or special orders.

Note 1.— No member of Service shall be transferred to foreign service on deputation unless the borrowing employer undertakes to afford him the privileges not inferior to those which he would have enjoyed, had he remained in the service of the Government of Haryana.

Note 2.- The lien of member of Service in this Department shall remain intact had he not been transferred to foreign service or on deputation.

Note 3.- A member of Service transferred to Chandigarh Administration, Bhakra Beas Management Board or any other Department of Haryana Government shall be on deputation. However, he shall not be entitled to any deputation allowance and there shall be no liability on the borrowing Department for payment of leave salary and pension contribution, except matching contribution under Defined Contributory Pension Scheme, for the period of deputation.

Pay, leave,
pension and
other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules the members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services Rules and other rules and regulations as may have been or may be adopted by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force or made by the State Legislature.

Discipline,
penalties and
appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties, which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of
allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established.

Power of
relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special
provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons under clause (4) of article 16 of the Constitution of India and in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

APPENDIX A (See rule 3)			
Serial number	Designation	Number of Posts	Scale of pay
1	2	3	4
1	Director General	1	By deputation from the Indian Administrative Services in the Super Time Scale.
2	Additional Director	1	By deputation from the Haryana Civil Services (Executive Branch).
3	Joint Director	2	FPL-12, Cell 1 = Rs. 78800/-

APPENDIX B <i>(see rule 7)</i>			
Serial number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Director General	---	By deputation from the Indian Administrative Services in the Super Time Scale.
2	Additional Director	---	By deputation from the Haryana Civil Services (Executive Branch).
3	Joint Director	---	(i) by promotion- Three years experience as Deputy Director after appointment on regular post; (ii) by transfer or deputation- (i) one year experience as Joint Director or its equivalent post; (ii) has qualified State Audit Service Examination; or has qualified State Account Service Examination; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.

APPENDIX C (see rule 13 (1))					
Serial number	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Director General	Government		As per the provisions of Service Rules of parent department.	As per the provisions of Service Rules of parent department.
2	Additional Director	Government		As per the provisions of Service Rules of parent department.	As per the provisions of Service Rules of parent department.
3	Joint Director	Government	(i) Minor Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Administrative Secretary	Government
			(ii) Major Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Government	----

APPENDIX D <i>(See rule 13 (2))</i>			
Serial number	Designation of post	Nature of penalty	Authority Empowered to impose penalty
1	2	3	4
1	Director General		As per the provisions of Service Rules of parent department.
2	Additional Director		As per the provisions of Service Rules of parent department.
3	Joint Director	(i) Reducing or with-holding the amount of pension admissible under the rules, governing pension. (ii) Termination of Service; (iii) Premature retirement from service in public interest before attaining the age of superannuation.	Government

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.